सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आश्विन 15, शुक्रवार, शाके 1944-अक्टूबर 07, 2022 *Asvina 15, Friday , Saka 1944- October 07, 2022*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

जयपुर, सितम्बर 20, 2022

एस.ओ.92 :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं.एफ. 4(2)वित्त/कर/2018-16 दिनांक 02.08.2022 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

जसवंत सिंह,

संयुक्त शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 02, 2022

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं.एफ.4(2)वित्त/कर/2022-108 दिनांक 23.02.2022 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि चार तलों से अधिक के बहुमंजिला भवन में फ्लैट या आवासीय इकाई, जिसका बाजार मूल्य पचास लाख रूपये से अधिक नहीं है, से संबंधित निम्नलिखित लिखतों, यदि ऐसी लिखत 31.03.2023 तक निष्पादित और रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत कर दी जाती है, पर स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और चार प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा,-

(i) हस्तान्तरण विलेख; या

(ii) आवंटन या विक्रय के परिणामस्वरूप राज्य सरकार,स्थानीय प्राधिकरणों,लोक उपक्रमों या किन्हीं अन्य सरकारी निकायों द्वारा जारी/निष्पादित पट्टा विलेख।

यह अधिसूचना 01.04.2022 से प्रभावी होगी।

[सं.प. 4(2)वित्त/कर/2018-16]
राज्यपाल के आदेश से,

जसवंत सिंह,
संयुक्त शासन सचिव"।

Government Central Press, Jaipur.